रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12052026-272469
CG-DL-E-12052026-272469

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 315]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 08, 2026/वैशाख 18, 1948
No. 315]	NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2026/VAISAKHA 18, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2026

सा.का.नि. 349(अ).— केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारुप नियम, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 23 दिसंबर, 2025 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 916(अ), तारीख 23 दिसंबर, 2025 द्वारा, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप या सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित किए गए थे ;

और, उक्त अधिसूचना की प्रतियां, 23 दिसंबर, 2025 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और, प्राप्त आक्षेपों एवं सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 56 की उपधारा (1) और धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (छठा संशोधन) नियम, 2026 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 52 के उपनियम (2) में,--

(क) "विनिर्दिष्ट प्राधिकारी" शब्दों के पश्चात्, "या प्राधिकृत परीक्षण स्टेशन" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) "उस प्राधिकारी से ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र" शब्दों के स्थान पर, "उस प्राधिकारी या प्राधिकृत परीक्षण स्टेशन से, प्ररूप 38 में, ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र" शब्द रखे जाएंगे ।

3. उक्त नियम के नियम 62 के उपनियम (1) में,--

(क) "किसी परिवहन यान की बाबत" शब्दों के स्थान पर, "किसी मोटर यान की बाबत" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

(ङ) नया अपरिवहन यान	पंद्रह वर्ष
(च) अपरिवहन यानों के संबंध में ठीक हालत में होने के प्रमाणपत्र का नवीनीकरण	पांच वर्ष : परंतु जहां नियम 175 के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्वचालित परीक्षण स्टेशन, किसी रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में क्रियात्मक है, वहां केंद्रीय मोटर यान (छठा संशोधन) नियम, 2026 के प्रारंभ से, हल्के मोटर यान की श्रेणी में आने वाले यान के ठीक हालत में होने की जांच केवल ऐसे स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम से की जाएगी ।

(ग) पहले परंतुक में, "ठीक होने का प्रमाण पत्र केवल तभी नवीकृत किया जाएगा, जब निरीक्षण आफिसर या अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट प्राधिकृत परीक्षण स्टेशन नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट परीक्षण कर लेता है, अर्थात् :--" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "ठीक होने के प्रमाण पत्र का नवीनीकरण केवल,--

(i) धारा 56 की उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट अधिकृत परीक्षण स्टेशन द्वारा नियम 189 के उपनियम (1) में सारणी-घ में विनिर्दिष्ट परीक्षण करने के पश्चात् ; या

(ii) निरीक्षण अधिकारी द्वारा नीचे दी गई सारणी में निर्दिष्ट परीक्षण करने के पश्चात्,

ठीक होने के परीक्षण के समय, केंद्रीय सरकार द्वारा विकसित मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से, यान का कम से कम दस सेकंड का जियो-टैग वीडियो कैप्चर और अपलोड करने के पश्चात् ही किया जाएगा, जिसमें रजिस्ट्रीकरण संख्या प्लेट, चेसिस नंबर और यान की विशेषताओं को स्पष्ट दृश्यता सुनिश्चित करते हुए सामने, पीछे, दाईं तरफ और बाईं तरफ से यान की दृश्यता को दर्शित किया गया हो, अर्थात् :--" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(घ) पहले परंतुक की सारणी में, क्रम संख्या 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, :-

"(21)	स्पीड गवर्नर	हां	हां	हां (दृश्य)	हां	नहीं	नियम 118 का अनुपालन सुनिश्चित करना दृश्य निरीक्षण मानदंड :

							(i) सुरक्षित रूप से फिट किया गया ; (ii) स्पीड गवर्नर को सील किया जाएगा । (iii) स्पीड गवर्नर की विद्युत तारों को हटाया नहीं जाएगा ।
(22)	यान स्थान ट्रैकिंग (वीएलटी) उपकरण	हां	हां (दृश्य)	हां (दृश्य)	हां	हां	नियम 90/नियम 125ज/ नियम 129 का अनुपालन सुनिश्चित करना दृश्य निरीक्षण मानदंड: (i) यान स्थान ट्रैकिंग संस्थापित की जाएगी ; (ii) आपातकालीन अलार्म बटन कार्य करेगा । कार्यात्मक निरीक्षण मानदंड : (i) एआईएस 140 के अनुसार यान डेटाबेस में यान स्थान ट्रैकिंग उपकरण सक्रिय होगा ; (ii) ई-सिम की वैधता अवधि उस तारीख तक होगी, जिस दिन यान के पश्चात्वर्ती ठीक हालत में होने का परीक्षण देय होता है ।
(23)	उच्च सुरक्षा वाले रजिस्ट्रीकरण प्लेट (एचएसआरपी)	हां	हां (दृश्य)	हां (दृश्य)	नहीं	नहीं	नियम 50 का अनुपालन सुनिश्चित करना। दृश्य निरीक्षण मानदंड : (i) यान के सामने और पीछे उच्च सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट संस्थापित हो, जिसमें विंडशील्ड पर तृतीय चिह्न सम्मिलित हो ; (ii) सुरक्षित रूप से लगाया गया ।
(24)	रेट्रो-रिफ्लेक्टर और रिफ्लेक्टिव टेप	हां	हां	हां (दृश्य)	नहीं	नहीं	दृश्य निरीक्षण मानदंड : (क) परावर्तक (i) स्वच्छ परावर्तक की विद्यमानता सुनिश्चित करना ; (ii) रिफ्लेक्टरों का सुरक्षित फिटमेंट ;

							(iii) परावर्तक क्षतिग्रस्त अवस्था में नहीं होंगे ; (iv) सुनिश्चित करना कि परावर्तक का रंग नियम 104 के अनुसार होगा, अर्थात, पीछे की ओर लाल रंग या सामने की ओर सफेद । (ख) रिफ्लेक्टिव टेप (i) स्वच्छ परावर्तक टेपों की विद्यमानता सुनिश्चित करना ; (ii) यान पर सुरक्षित रूप से चिपकाया गया हो ; (iii) सुनिश्चित करना कि रिफ्लेक्टिव टेप का आकार, रंग और स्थान नियम 104 के अनुसार होगा ; (iv) रिफ्लेक्टिव टेप क्षतिग्रस्त नहीं हों ; (v) चिन्ह अंकित सामग्री के बाहर स्पष्ट रूप से सुपाठ्य दिखाई देंगे और अमिट होंगे ।
(25)	सुरक्षा बेल्ट (सीट बेल्ट)	हां	नहीं	हां (दृश्य)	नहीं	नहीं	नियम 125 या 125क का अनुपालन सुनिश्चित करना । दृश्य निरीक्षण मानदंड : (i) अनिवार्य सुरक्षा बेल्ट उपलब्ध और सुरक्षित रूप से फिट किए जाएंगे ; (ii) सुरक्षा बेल्ट क्षतिग्रस्त नहीं हों ; (iii) सुरक्षा बेल्ट एंकरेज ढीला नहीं हो; (iv) सीटबेल्ट रिमाइंडर प्रणाली, यदि उपलब्ध हो, सुचारू स्थिति में होनी चाहिए ; (v) सीटबेल्ट का जी-लॉक सुचारू स्थिति में होना चाहिए।

(ङ) दूसरे परंतुक में, "ठीक होने का प्रमाण पत्र का नवीकरण केवल नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट परीक्षण करने के पश्चात् किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "ठीक होने के प्रमाण पत्र का नवीनीकरण, केवल नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट परीक्षण करने के पश्चात्, ठीक होने के परीक्षण के समय, केंद्रीय सरकार द्वारा विकसित मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से, यान का कम से कम दस सेकंड का जियो-टैग वीडियो कैप्चर और अपलोड करने के पश्चात् ही किया जाएगा, जिसमें रजिस्ट्रीकरण संख्या प्लेट, चेसिस नंबर और यान की विशेषताओं की स्पष्ट दृश्यता सुनिश्चित करते हुए सामने, पीछे, दाईं तरफ और बाईं तरफ से यान की दृश्यता को दर्शित किया गया हो," शब्द रखे जाएंगे ;

(च) तीसरे परंतुक और चौथे परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(छ) पांचवें परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि पूर्ण रूप से निर्मित यान के रूप में विक्रय किए जाने वाले नए गैर-परिवहन यान के रजिस्ट्रीकरण के समय ठीक हालत में होने के किसी प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं होगी और ऐसे यान को रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पंद्रह वर्षों की अवधि के लिए ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र प्राप्त माना जाएगा ।"।

4. उक्त नियम के नियम 174 में, उपनियम (1) के खंड (iii) में, "परिवहन यान के लिए प्ररूप 38 में और गैर-परिवहन यान के लिए प्ररूप 25 में जारी किया गया प्रमाण पत्र अभिप्रेत है, जैसा भी मामला हो," शब्दों और अंकों के स्थान पर, "परिवहन यान और गैर-परिवहन यान के लिए प्ररूप 38 में जारी किया गया प्रमाण पत्र अभिप्रेत है," शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

5. उक्त नियम के नियम 176 के उपनियम (1) में,--

(क) पहले परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यान के सुधार से संबंधित कोई सेवा केंद्र या कोई व्यक्ति, उसी जिले में, जहां इस तरह के संचालन किए जाते हैं, प्रत्यक्षत: किसी स्वचालित परीक्षण केंद्र का स्वामी या प्रचालक नहीं बनेगा ।";

(ख) दूसरे परंतुक का लोप किया जाएगा ।

6. उक्त नियम के नियम 177 के उपनियम (2) में, "या विनिर्माण या यानों के विक्रय या मोटर गाड़ी के पूर्जों या यानों को स्क्रैप करना" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

7. उक्त नियम के नियम 181 में,--

(क) उपनियम (2) को लोप किया जाएगा ;

(ख) उपनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(3) स्वचालित परीक्षण केंद्र पर ठीक हालत में होने के परीक्षण के लिए स्लॉट बुक करते समय यान पहचान और यान के स्वामी की पहचान के लिए निम्नलिखित जानकारी दर्ज की जाएगी, अर्थात् :--

(i) किसी यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या ;

(ii) रजिस्ट्रीकृत स्वामी या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का मोबाइल नंबर ;

(ग) उपनियम (4) में,--

(i) खंड (viii) में, "विनिर्माण का महीना और वर्ष ; और" शब्दों के स्थान पर, "विनिर्माण का मास और वर्ष ;" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ix) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"(x) बीमे की वैधता ;

(xi) परमिट की वैधता, जहां कहीं लागू हो ;

(xii) प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र की वैधता ।";

(घ) उपनियम (6) में,--

(i) खंड (v) का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (vi) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"दृश्य जांच डेटा, जिसमें जियो-टैग की गई तस्वीरें और यान का कम से कम दस सेकंड का जियो-टैग वीडियो सम्मिलित है, को केंद्रीय सरकार द्वारा विकसित मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से, कैप्चर और अपलोड किया जाएगा, जिसमें यान के आगे, पीछे, दाहिनी तथा बाईं तरफ से रजिस्ट्रीकरण नंबर प्लेट, चेसिस नंबर, यान की विशेषताओं और स्वचालित परीक्षण स्टेशन में यान की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से दिखाया जाएगा ।";

(ङ) उपनियम (7) में,--

(i) "यथास्थिति, प्ररूप 25 या" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (iv) में, "के ब्यौरे" शब्दों के पश्चात्, "और फोटो" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

8. उक्त नियम के नियम 182 में,--

(क) उपनियम (1) में, "त्रुटियों को ठीक करवाने के पश्चात्" शब्दों के स्थान पर, "नियम 81 में यथा विनिर्दिष्ट फीस का संदाय करने के पश्चात्" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (1क) का लोप किया जाएगा;

(ग) उपनियम (2) में, "प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को" शब्दों के पश्चात्, "नियम 81 में यथा विनिर्दिष्ट फीस का संदाय करने के पश्चात्" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

9. उक्त नियम के नियम 189 में,--

(क) उपनियम (1) में,--

(i) सारणी घ में, क्र.सं. 23 के सामने,--

(अ) स्तंभ 5 में, "दृश्यमान" शब्द के स्थान पर, "दृश्यमान और कार्यात्मक" शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) स्तंभ 7 में क्र.सं. (ii) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"कार्यात्मक निरीक्षण मानदंड :

(i) यान अवस्थिति खोज उपकरण एआईएस 140 के अनुसार वाहन डेटाबेस में सक्रिय होगा ;

(ii) ई-सिम की वैधता अवधि उस तारीख तक होगी, जिस दिन यान के पश्चात्वर्ती ठीक हालत में होने का परीक्षण देय होता है ;

(iii) ठीक हालत में होने का परीक्षण के दौरान यान की अवस्थिति, यान अवस्थिति खोज उपकरण के माध्यम से सत्यापित की जाएगी ।

(ii) टिप्पण (क) में, "और विहित उपयुक्तता परीक्षण शुल्क का संदाय करने के बाद बहु पुनः परीक्षणों के लिए आवेदन करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(iii) टिप्पण (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ख) यदि कोई यान उपरोक्त (क) में सूचीबद्ध किसी भी परीक्षण में असफल होने के पश्चात्, उसको पहली बार 'अनफिट' घोषित किए जाने की तारीख से 180 दिनों के भीतर (परीक्षण के दिन के सिवाय) या उपयुक्तता प्रमाण पत्र के अवसान की तारीख से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, 'फिट' घोषित नहीं किया जाता है, तो उस यान को 'समयावधि पूर्ण हो चुके यान' (ईएलवी) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और वाहन में 'ईएलवी' के रूप में चिह्नित किया जाएगा : परंतु राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, आपवादिक परिस्थितियों के अधीन, 180 दिनों से अधिक का विस्तार प्रदान कर सकेगा ।";

(iii) टिप्पण (ग) में, "विहित उपयुक्तता परीक्षण शुल्क का संदाय करने के बाद ऐसे यान के बहु पुनः परीक्षण किए जा सकेंगे ।" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

(ख) उपनियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(5) नियम 181 के उपनियम (6) के अनुसार कैप्चर किए गए, सभी परीक्षण डेटा और दृश्यता निरीक्षण डेटा, जिसमें फोटो और वीडियो सम्मिलित हैं, संपरीक्षा और निर्धारण प्रयोजनों के लिए, कम से कम 6 मास के लिए परिरक्षित रखे जाएंगे ।"।

10. उक्त नियमों के प्ररूप 38 में, "(केवल परिवहन यानों की दशा में ही लागू है)" कोष्ठकों और शब्दों का लोप किया जाएगा ।

11. उक्त नियमों के प्ररूप 38क का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. आरटी-16011/3/2023-टी-भाग(1)]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 298(अ), तारीख 21 अप्रैल, 2026 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May, 2026

G.S.R. 349(E).— WHEREAS the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 916 (E), dated the 23rd December, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated the

23rd December, 2025, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 23rd December, 2025;

AND WHEREAS, the objections and suggestions received have been considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred by Sub-section (1) of section 56 and section 64 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: -

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Sixth Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred as the said rules), in rule 52, in sub-rule (2),

(a) after the words "shall refer the vehicle to the authority", the words "or authorised testing station" shall be inserted;

(b) for the words "certificate of fitness from that authority", the words "certificate of fitness, in Form 38 from that authority or authorised testing station" shall be inserted;

3. In the said rules, in rule 62, in sub-rule (1),

(a) for the words "in respect of a transport vehicle", the words "in respect of a motor vehicle" shall be substituted;

(b) after clause (d), the following clauses shall be inserted, namely: -

(e) new non-transport vehicle	fifteen years
(f) renewal of certificate of fitness in respect of non-transport vehicles	five years: Provided that where the automated testing station registered under rule 175 is operational in the jurisdiction of a registering authority, the fitness of the vehicle of the category of light motor vehicle shall be done only through such automated testing station with effect from the commencement of the Central Motor Vehicles (Sixth Amendment) Rules, 2026.

(c) in the first proviso, for the words "the renewal of a fitness certificate shall be made only after an Inspecting Officer or authorised testing stations as referred to in sub-section (1) of section 56 of the Act has carried the tests specified in the Table given below, namely: -", the words "the renewal of a certificate of fitness shall be made only after capturing and uploading at least a ten seconds geo-tagged video of the vehicle at the time of fitness test through a mobile application developed by the Central Government, covering the vehicle from front, rear, right side and left side ensuring clear visibility of the registration number plate, chassis number and features of the vehicle by an,

(i) authorised testing station as referred to in sub-section (1) of section 56 after carrying out the tests specified in the Table-D in sub-rule (1) of rule 189; or

(ii) inspecting Officer after carrying out the tests specified in the Table given below, namely:-"

shall be substituted.

(d) in the first proviso, in TABLE, after serial number 20 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

“(21)	Speed governor	Yes	Yes	Yes (Visual)	Yes	No	Ensure compliance with rule 118. Visual inspection parameters: (i) securely fitted; (ii) speed governor shall be sealed; (iii) electrical wirings of speed governor shall not be disconnected;
(22)	Vehicle location tracking (VLT) device	Yes	Yes (Visual)	Yes (Visual)	Yes	Yes	Ensure compliance with rule 90 / rule 125H / rule 129. Visual inspection parameters: (i) Vehicle location tracking shall be installed; (ii) emergency alarm button shall be working. Functional inspection parameters: (i) Vehicle location tracking device shall be active in VAHAN database as per AIS 140; (ii) e-SIM shall have a validity period up to the date on which the subsequent fitness test of the vehicle falls due.
(23)	High security registration plate (HSRP)	Yes	Yes (Visual)	Yes (Visual)	No	No	Ensure compliance with rule 50. Visual inspection parameters: (i) high security registration plates installed at the front and rear of the vehicle including third registration mark on the windshield; (ii) securely fixed.
(24)	Retro-Reflector and reflective tapes	Yes	Yes	Yes (Visual)	No	No	Visual inspection parameters: (A) Reflectors: (i) ensure presence of clean reflectors; (ii) secured fitment of reflectors; (iii) reflectors shall not be in damaged condition; (iv) ensure that colour of reflectors shall be as per rule 104, i.e., red colour to the rear or white to the front. (B) Reflective tapes: (i) ensure presence of clean reflective tapes; (ii) securely pasted to vehicle body; (iii) ensure that size, colour and location of reflective tapes shall be as per rule 104;

							(iv) reflective tapes shall not be damaged; (v) the marks shall be visible, clearly legible on the outside of the marking material and shall be indelible.
(25)	Safety belt (seat belt)	Yes	No	Yes (Visual)	No	No	Ensure compliance with rule 125 or 125A. Visual inspection parameters: (i) mandatory safety belts shall be available and securely fitted; (ii) safety belts shall not be damaged; (iii) safety belt anchorage shall not be loose; (iv) seatbelt reminder system, if available, should be functioning; (v) G-lock of seatbelt should be functioning.

(e) in the second proviso, for the words "the renewal of fitness certificate shall be made only after carrying out tests specified in the Table given below", the words "the renewal of a certificate of fitness shall be made only after capturing and uploading at least a ten seconds geo-tagged video of the vehicle at the time of fitness test through a mobile application, developed by the Central Government, covering the vehicle from front, rear, right side and left side ensuring clear visibility of the registration number plate, chassis number and features of the vehicle after carrying out the tests specified in the Table given below" shall be substituted.

(f) the third proviso and the fourth proviso shall be omitted;

(g) after the fifth proviso, the following shall be inserted, namely: -

"Provided also that no fitness certification shall be required at the time of registration for new non-transport vehicle sold as fully built vehicle and such vehicle shall be deemed to be having certificate of fitness for a period of fifteen years from the date of registration."

4. In the said rules, in rule 174, in sub-rule (1), in clause (iii), the words "in Form 25 for" shall be omitted.

5. In the said rules, in rule 176, in sub-rule (1), -

(a) for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -

"Provided that a service station or any person related to repair of vehicle shall not become the owner or operator of an automated testing station directly in the same district where such operations are conducted:";

(b) the second proviso, shall be omitted;

6. In the said rules, in rule 177, in sub-rule (2), the words "or manufacturing or sale of vehicles or automobile spares or scrapping of vehicles" shall be omitted.

7. In the said rules, rule 181,-

(a) sub-rule (2) shall be omitted;

(b) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

"(3) The following information for vehicle identification and vehicle owner identification shall be entered at the time of booking a slot for fitness test at an automated testing station, namely: -

(i) Registration number of a vehicle;

(ii) Mobile number of the registered owner or authorised signatory,";

(c) in sub-rule (4),-

(i) in clause (viii), after the words "Month and Year of Manufacture; ", the word "and" shall be omitted ;

(ii) after clause (ix), the following clauses shall be inserted, namely: -

"(x) insurance validity;

(xi) permit validity, wherever applicable;

(xii) Pollution under Control Certificate validity.";

(d) in sub-rule (6),-

(i) clause (v) shall be omitted;

(ii) for clause (vi), the following clause shall be substituted, namely, -

"(vi) the visual checks data, including geo-tagged photographs and at least a ten seconds geo-tagged video of the vehicle shall be captured and uploaded through a mobile application developed by the Central Government, covering the vehicle from front, rear, right side and left side ensuring clear visibility of the registration number plate, chassis number, features of the vehicle and presence of the vehicle in the automated testing station.";

(e) in sub-rule (7), -

(i) the words "Form 25 or" and the words ", as the case may be," shall be omitted. ;

(ii) in clause (iv), after the word "details", the words "and photographs" shall be inserted.

8. In the said rules, in rule 182, -

(a) in sub-rule (1), for the words "after getting the defects rectified", the words "after paying fees as specified in rule 81" shall be substituted;

(b) sub-rule (1A) shall be omitted;

(c) in sub-rule (2), after the words "multiple re-tests", the words "after paying fees as specified in rule 81" shall be inserted.

9. In the said rules, in rule 189, -

(a) in sub-rule (1), -

(i) In Table-D, against serial number 23, -

(A) in column 5, for the word "Visual" the words "Visual and Functional" shall be substituted;

(B) in column 7, after item number (ii), the following shall be inserted, namely: -

"Functional inspection parameters:

(i) vehicle location tracking device shall be active in VAHAN database as per AIS 140;

(ii) e-SIM shall have a validity period up to the date on which the subsequent fitness test of the vehicle falls due;

(iii) location of the vehicle during the fitness test shall be validated through vehicle location tracking device."

(ii) in Note (a), the words "and shall be allowed to apply for multiple re-tests after paying prescribed fitness testing fee" shall be omitted;

(iii) for Note (b), the following Note shall be substituted, namely: -

"(b) if a vehicle is not declared as 'fit' within 180 days from the first date of vehicle being declared as 'unfit' (excluding the day of test), after failing any of the tests listed in Note (a) above or from the date of expiry of fitness certificate, whichever is later, the vehicle shall be categorized as 'End of Life Vehicle' (ELV) and flagged in the VAHAN as 'ELV': Provided that the registering authority of the State or Union territory, may allow extension beyond 180 days, under exceptional circumstances.";

(iv) in Note (c), the words "Such vehicle may undergo multiple re-tests, after paying the prescribed fitness testing fee" shall be omitted.

(b) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely-

"(5) All test data and visual checks data, including photographs and videos, captured as per sub-rule (6) of rule 181, shall be preserved for atleast 6 months for audit and assessment purpose.".

10. In the said rules, in Form 38 in the heading, the words "(APPLICABLE IN THE CASE OF TRANSPORT VEHICLES ONLY)" shall be omitted.

11. In the said rules, Form 38A shall be omitted.

[F. No. RT-16011/3/2023-T-Part(1)]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R. 298(E), dated the 21st April, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.05.12 22:51:04 +05'30'